

उत्तर प्रदेश शासन
राज्य कर अनुभाग-3
संख्या-19(1)/11-3-2023-294/07
लखनऊ:दिनांक: 11 जनवरी, 2023

शुद्धि-पत्र

कार्यालय ज्ञाप संख्या-19/11-3-2023, दिनांक 04-01-2023 द्वारा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं खण्डपीठ लखनऊ में लम्बित वादों में प्रभावी पैरवी किये जाने के लिये विशेष सचिव से अनिम्न स्तर के विभागीय नोडल अधिकारी नामित किये जाने के संबंध में शासन स्तर पर श्री बराती लाल, विशेष सचिव, राज्य कर विभाग को इस कार्य हेतु नोडल अधिकारी नामित किया गया है।


2. उक्त कार्यालय ज्ञाप के प्रस्तर-1 पर त्रुटिवश त्रुटिवश barati12295@gmail.com टंकित हो गया है। अतः उक्त के स्थान पर karnianu2@gmail.com पढ़ा जाय।
3. उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27-10-2021 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

सुनील यादव
उप सचिव।

संख्या-19(2)/11-3-2023-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) निजी सचिव-प्रमुख सचिव, राज्य कर विभाग।
- (2) प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उ0प्र0 शासन।
- (3) आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को विभाग की वेबसाइट पर तत्काल उपलब्ध कराये।
- (4) मुख्य स्थाई अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/खण्डपीठ, लखनऊ द्वारा आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0।
- (5) निजी सचिव, संबंधित विशेष सचिव(श्री बराती लाल), राज्य कर विभाग, उ0प्र0 शासन।
- (6) निजी सचिव, विशेष सचिव(श्री सर्वज्ञ राम मिश्र)राज्य कर विभाग, उ0प्र0 शासन।
- (7) गार्ड फाईल।


(सुनील यादव)
उप सचिव।